उत्तर प्रदेश शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–228/2022/3144/अरसठ–1–2022–33(59)/2019
लखनऊ : दिनांक 10 नवम्बर, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी०जी०एस०ई०) का पद शासन के कार्यालय आदेश संख्या–4209/अरसठ–1–2019–33(59)/2019, दिनांक 01.10.2019 द्वारा सृजित करते हुए उक्त पद पर भारतीय प्रशासकीय सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान के समकक्ष स्तर के अधिकारी को तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्क्रम में शासन के कार्यालय आदेश संख्या–4909/5/2019/अरसठ–1–2019–33(59)/2019, दिनांक 12.12.2019 द्वारा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये है।

2– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर कक्षा–12 तक की एकीकृत शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना की गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु एवं एकीकृत स्कूल शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप मूर्त रूप देने के लिये, बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु तथा शासन के समक्ष स्कूल शिक्षा का समन्वित रूप प्रस्तुत करने की मंशा से महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्य एवं दायित्वों में माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य एवं दायित्वों को सम्मिलित करते हुए विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतएव श्री राज्यपाल एतद्द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन समस्त निदेशालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यकारी/प्रशासनिक नियंत्रण एवं बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के त्वरित गति से संचालन एवं प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं शिक्षकों की दक्षता वृद्धि हेतु सृजित महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 के पद हेतु कार्यालय आदेश संख्या–4909/5/2019/अरसठ–1–2019–33(59)/2019, दिनांक 12.12.2019 द्वारा निर्धारित कार्य एवं दायित्व को विस्तारित कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय को समाहित करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष नामित करते हुए एतद्द्वारा समस्त वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार प्रदान किये जाते है।

4– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्य एवं दायित्व विषयक शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 12.12.2019 द्वारा निर्धारित कार्य एवं दायित्वों को विस्तारित करते हुए श्री राज्यपाल महोदया महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/कार्यालयों को समेकित करते हुए निम्नलिखित कार्य/दायित्व सौंपे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) समस्त निदेशालयों के निदेशकों के मध्य समन्वयन का प्रभावी पर्यवेक्षण।
(2) समस्त निदेशालयों के समस्त प्रस्तावों/सूचनाओं एवं आख्याओं का परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना।
(3) बजट प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना।
(4) निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियां, बजट आवंटन, व्यय एवं निधियों के प्रवाह का प्रभावी पर्यवेक्षण।

..........2/

(5) निदेशालय से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराना।
(6) पी०एफ०एम०एस० आधारित प्रणाली के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण।
(7) समस्त भर्ती प्रक्रियाओं, स्थानान्तरण, सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण निदेशक के माध्यम से सम्पादित कराना।
(8) निदेशक के माध्यम से अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कराना एवं ट्रेनिंग माड्यूल तैयार कराकर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना।
(9) समस्त मानव संसाधन का प्रबन्धन निदेशक के माध्यम से करवाना तथा उसका पर्यवेक्षण करना।
(10) उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्पादित किये जा रहे समस्त कार्यों को निदेशक के माध्यम से सम्पादित कराना, उसका पर्यवेक्षण करना एवं प्रशासनिक नियंत्रण करना।
(11) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की संकल्पना के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में सुधार करवाना एवं प्रभावी पर्यवेक्षण करना।
(12) संस्कृत शिक्षा परिषद् से संबंधित कार्यों को निदेशक के माध्यम से सम्पादित कराना और उसका प्रभावी पर्यवेक्षण करना।
(13) माध्यमिक निदेशालय के अधीन मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना।
(14) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत मानव सम्पदा प्रणाली विकसित कराकर लागू करवाना।
(15) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़ों हेतु एकीकृत पोर्टल विकसित कराकर क्रियाशील बनवाना।
(16) निदेशक, माध्यमिक की वार्षिक गोपनीय आख्या हेतु प्रस्तावक अधिकारी होंगे।

5– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को शिक्षा निदेशक(मा0) की वार्षिक गोपनीय आख्याओं हेतु प्रस्तावक अधिकारी बनाये जाने के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में पूर्व में समय–समय पर निर्गत समस्त शासनादेश/नियम/विनियम अवक्रमित समझे जायेगें।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–228/2022/3144(1)/अरसठ–1–2022–33(59)/19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
(3) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(6) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(7) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उ0प्र0 शासन।
(8) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 217–सी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001।

.........3/

(9) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
(10) सचिव, उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज, उ0प्र0।
(11) शिक्षा निदेशक, (बेसिक/माध्यमिक), निदेशक(एस0सी0ई0आर0टी0/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा/एम0डी0एम0)/राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा), लखनऊ/सचिव (बेसिक शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद/संस्कृत शिक्षा परिषद), उ0प्र0, प्रयागराज/लखनऊ।
(12) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(13) समस्त अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक/मा0) उ0प्र0, प्रयागराज/लखनऊ।
(14) समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक(मा0)/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0)/सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
(15) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(16) माध्यमिक शिक्षा विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/समस्त अनुभाग।
(17) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं गजट की 200 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
(18) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
संयुक्त सचिव।